मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा - 2009

विज्ञापन क्रमांक : ..../परीक्षा/2009/29 जून, 2009 | **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2009**

प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि : 6 सितम्बर, 2009, समय : प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक

मुख्य परीक्षा की तिथि : 8 नवम्बर, 2009, समय : प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक

एक - भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार रिक्त सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के अस्थायी पदों के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या श्रेणीवार निम्नानुसार है -

(अ) अनारक्षित	-	14
(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग	-	4
(स) अनुसूचित जाति	-	4
(द) अनुसूचित जनजाति	-	5
(घ) **कुल योग**	-	**27**

नोट- उपरोक्त 27 पदों में से अस्थिबाधित (Orthopaedically Handicapped) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 2 प्रतिशत के अनुसार 1 पद आरक्षित होगा जिनका चयन विकलांगों की मेरिट क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का विकलांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी।

दो- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी (1) अनारक्षित श्रेणी भरें।

(2) केवल मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वे आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्ही अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नही आते हों।

तीन- (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

(स) चयनित अभ्यर्थियों को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

चार- पदों की संख्या शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएँगी परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएँगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

पाँच- पद का विवरण -

(क) श्रेणी - राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।

(ख) वेतनमान- रुपये 9000-14550 इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(ग) आवश्यक अर्हता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

(घ) आयु सीमा 1 जनवरी 2010 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

छः- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को **आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पूरा करते हैं।** अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वंय कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

सात- उच्चतम आयु सीमा में छूटें -

(1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार जो कि मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य की गई अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे आवेदकों के लिए उच्चतम आयु सीमा 35 + 3 = 38 वर्ष होगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन के **समस्त श्रेणी** के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारियों (जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल है) के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

टीप- उच्चतम आयु सीमा में उपरोक्त छूटों का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

आठ- परीक्षा योजना- न्यायिक सेवा परीक्षा निम्नानुसार तीन स्तरों में होगी-

1. प्रारंभिक परीक्षा- प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ स्वरूप का होगा और प्रश्नों का उत्तर उम्मीदवार को OMR (Optical Mark Reader) शीट पर अंकित करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट-एक में दिया गया है।

2. मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा विज्ञापन के परिशिष्ट-दो में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

3. साक्षात्कार।

टीप- 1. प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिये होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से श्रेणीवार विज्ञप्त पदों की संख्या के 10 गुना मेरिट क्रम में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये चयनित किये जायेंगे। उपर्युक्त पद्धति मुख्य परीक्षा में से साक्षात्कार के लिये रिक्तियों के 03 गुना आवेदक मेरिट में अर्ह घोषित किये जाने के बारे में भी अपनाई जाएगी।

2. प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।

4. प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियाँ जारी नहीं की जावेगी।

5. मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित वर्ग के आवेदकों को प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

नौ - अंतिम चयन का आधार - अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

टीप- साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जाएगा।

दस - परीक्षा केन्द्र :-

लिखित परीक्षा के लिये निम्नलिखित परीक्षा केन्द्र (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये केन्द्र/कोड) निर्धारित है

परीक्षा केन्द्र का स्थान	कोड नंबर
इन्दौर	01
भोपाल	02
जबलपुर	03
ग्वालियर	04

उपलब्ध स्थान के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जावेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा माँगा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये। परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जावेगा।

ग्यारह - आवेदन कैसे करें :-

जून, 2009 के अंतिम सप्ताह के रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा - 2009 के साथ कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र दिया जा रहा है प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन पत्र क्रमांक अंकित है। आवेदक विज्ञापन के साथ दिए गये मूल आवेदन पत्र में ही आवेदन करे। **(इस आवेदन पत्र की टंकित/छायाप्रति मान्य नहीं होगी। अन्य किसी प्रारूप पर प्रस्तुत किये गये आवेदन निरस्त किये जाएंगे)।**

बारह- आवेदन पत्र भरने के सबंध में निर्देश -

आवेदन पत्र भरने के पहले समस्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा निर्देशों के अनुरूप ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, जाति, विकलांगता, परीक्षा केन्द्र की जानकारी में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

1. कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है। आवेदन का पिछला पृष्ठ कोरा है इस पर कुछ भी न लिखें अन्यथा आपका आवेदन स्केन नहीं हो सकेगा।
2. आवेदन पत्र सफाई से काले स्याही के बालपेन से ही भरें, काटपीट/ओव्हर राईटिंग न करें। इसे गीला या गंदा ना करें।
3. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें, अधूरा भरा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. **श्रेणी भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।**
5. इस आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, जाति, विकलांगता, शैक्षणिक अर्हता आदि को मुख्य परीक्षा हेतु भी आधार माना जाएगा।
6. आवेदन पत्र को बिना मोड़े बड़े लिफाफे में रखें। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र रखें।
7. सामने से खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो निर्धारित स्थान पर ठीक तरह से चिपकाएँ, स्टेपल या पिन न करें। आवेदन पत्र पर फोटो ठीक से चस्पा न होने के कारण यदि निकल जाता है और प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। फोटोग्राफ की फोटो स्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं है फोटो के समक्ष दिये बाक्स में हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें।
8. घोषणा पर हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में करें। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।
9. स्वयं का पता लिखा छः रुपये के टिकिट लगे एक पोस्टकार्ड के साथ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। पोस्टकार्ड पर आवेदक को आवेदन प्राप्ति की सूचना दी जाएगी। आवेदन पत्रों के साथ पोस्ट कार्ड संलग्न नहीं पाये जाने पर आवेदन प्राप्ति की सूचना नहीं दी जायेगी।
10. समस्त जानकारी सही व स्पष्ट दें। जानकारी गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
11. परीक्षा केन्द्र का कोड क्रमांक विज्ञापन क्रमांक देखकर ही सही कोड क्रमांक भरें आवंटित केन्द्र बदला नहीं जायेगा।
12. एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर आवेदक के सभी आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
13. जन्मतिथि अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में ही अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 में ही अंकित की जावेगी।

टीप - केवल वही जन्म तिथि स्वीकार होगी जो मेट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिये गये जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि दर्ज हो जाने पर बाद में उसमें किसी परिवर्तन की मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

14. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा की सूचना भेजी जावेगी।

तेरह- अन्य निर्देश/जानकारी

1. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें :-
   (1) एल.एल.बी. अंतिम वर्ष की अंकसूची,
   (2) जन्मतिथि के लिये मेट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र,

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(3) अजा/अजजा/अपिव का जाति प्रमाण पत्र, जो अनुविभागीय अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। विवाहित महिला आवेदक अविवाहित स्थिति को दर्शाते हुए जाति के स्थायी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(4) विकलांगता प्रमाण पत्र, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया हो।

2. परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. आवेदक को पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।

4. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग/प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।

5. **पहचान चिन्ह** - उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे या अन्य कोई चिन्ह अंकित करेगा तो उसे पहचान चिन्ह माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

6. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित हैं।

7. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिये इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नही होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किये गए हस्ताक्षरों में कोई अन्तर पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना तत्काल भेजी जाए। परिवर्तित पते के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास किया जावेगा, किन्तु इस मामले में उच्च न्यायालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

चौदह- अनर्हताएँ -

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का अभियोजन किया जा सकेगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हो, या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो, या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
9. उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं का उल्लघंन किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो,

उपर्युक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-

(क) उच्च न्यायालय द्वारा उसे चयन के लिये जिसके लिये वह उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित किया जाएगा।

पन्द्रह :- परीक्षा एवं आवेदन शुल्क-

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के है तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन सह परीक्षा शुल्क रुपये 100/- देय होगा।

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर निवासी आवेदकों के लिए आवेदन सह परीक्षा शुल्क रुपये 200/- देय होगा।

उपर्युक्त शुल्क उच्च न्यायालय द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट **रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर** के नाम से बनाकर भेजे यह बैंक ड्राफ्ट **जबलपुर पर देय** होना चाहिये। अन्य स्थानों पर देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता तथा आवेदित पद का नाम एवं आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य लिखें।

अत्यंत आवश्यक:- बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भली भाँति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लेवें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट एवं निर्धारित शुल्क से कम राशि के ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।

टीप :- (एक) उच्च न्यायालय को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापिस किया जाएगा :-

1. उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन निरस्त हो जाए, अथवा
2. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाए।

(दो) निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के शुल्क लौटाये नहीं जाएँगे। इसलिये आवेदकों के लिये यह सुझाव है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाय उससे काफी पहले आवेदन पत्र भेजना उसके हित में होगा। बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट की तिथि से आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पूर्व पहुँचा है, की पुष्टि नहीं की जाएगी। **आवेदन पत्र मय बैंक ड्राफ्ट के अंतिम तिथि** की समय सीमा तक उच्च न्यायालय कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है।

सोलह- आवेदन की अंतिम तिथि-

कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 31.07.2009** निर्धारित है। अंतिम तिथि तक तथा समय के भीतर आवेदन पत्र कार्यालय में पहुँचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाएँगे तथा ऐसे आवेदक प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अर्जित नहीं करेंगे। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। अतः आवेदक के हित में है कि वे अंतिम तिथि के पर्याप्त समय पूर्व आवेदन कार्यालय को प्रस्तुत कर देवे। आवेदक आवेदन पत्र डाक से भेज सकते हैं या उच्च न्यायालय कार्यालय के काउन्टर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 4.30 बजे तक) में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जाएगी। डाक/कोरियर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 तक उच्च न्यायालय कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुये माने जाएंगे। डाक/कोरियर में विलंब/गुम होने/कटने फटने अथवा नष्ट होने के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाएंगे एवं आवेदन पत्र के साथ प्राप्त शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।

सत्रह- प्रवेश पत्र -

1. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
2. उन सभी आवेदकों को जिनके पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र उच्च न्यायालय कार्यालय में अंतिम तिथि अर्थात 31-07-2009 को सांयकाल 5.30 बजे तक पहुंच जायेंगे, उन्हें प्रवेश पत्र साधारण डाक (U. P. C.) से भेजा जाएगा।
3. परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक यदि आवेदक को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हो तो उच्च न्यायालय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें। उच्च न्यायालय कार्यालय से उन्हें प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जाएगी।
4. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे।
5. यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है, परन्तु उसे उच्च न्यायालय कार्यालय की ओर से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष सन्तुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
6. प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि पाये जाने पर तत्काल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय से सम्पर्क करें।

अठारह -

सामान्यतः अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आवेदकों को साधारण डाक से उनके आवेदन पत्र में दर्शाये पते पर भेजी जाती है, किन्तु यदि आवेदक को उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई अंकसूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है तो अंतिम चयन परिणाम की घोषणा के एक वर्ष के भीतर डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिये रजिस्टर्ड डाक के लिये पर्याप्त डाक टिकिट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25/- का बैक ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के नाम से भेजें।

किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनकी अभ्यर्थिता पहचान चिन्ह अंकित करने के कारण निरस्त की गई है, अंकसूची नहीं भेजी जायेगी।

उन्नीस- यात्रा व्यय का भुगतान

(अ) परीक्षा के लिये- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपने निवास स्थान के निकटतम परीक्षा केन्द्र को ही भरें, उन्हें उनके निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी को, जो कहीं सेवारत न हो तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान यात्रा वापिसी के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जाएगा।

(ब) साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को कंडिका (अ) में दी गई शर्तों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

आवेदन पत्र भेजने का पता-

रजिस्ट्रार (परीक्षा),
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर - 482002

सूचना -

निम्नांकित कूपन को काटकर या इसकी फोटो कॉपी आवेदन पत्र के बड़े लिफाफे पर चिपकाएं।

......./परीक्षा/2009/.................................
सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2009

प्रति,
रजिस्ट्रार (परीक्षा),
प्रशासनिक भवन, नई बिल्डिंग
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर - 482002

न्यायिक सेवा परीक्षा योजना

न्यायिक सेवा परीक्षा निम्नानुसार तीन चरणों में होगी :-

(1) प्रारम्भिक परीक्षा
(2) मुख्य परीक्षा
(3) साक्षात्कार

परिशिष्ट - 1 प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम

(1) प्रारंभिक परीक्षा:- इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जावेंगे, जो कुल अंक 100 का होगा। इस प्रश्न पत्र की अवधि तीन घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

भाग - एक

विधि

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, Civil Procedure Code, 1908.
2. भारतीय दंड संहिता, 1860, Indian Penal Code, 1860.
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, Criminal Procedure Code, 1973
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, Indian Evidence Act, 1872
5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961,
   M.P. Accommodation Control Act, 1961.

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

6. संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882,
Transfer of Property Act, 1882
7. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, Indian Contract Act,1872.
8. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अधिनियम, 1959
M.P. Land Revenue Code, 1959.
9. भारत का संविधान Constitution of India.
10. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963.
11. म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996
M.P. Gram Nyayalaya Adhiniyam, 1996.

70 अंक

भाग - दो

सामान्य ज्ञान जिसमें इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समकालीन घटनाएं, खेलकूद, क्रीड़ाएं तथा विभिन्न कलाओं एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जावेंगे।

30 अंक

परिशिष्ट - 2 मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम

(2) मुख्य परीक्षा - मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है-

(1) प्रथम प्रश्न-पत्र - प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तथा उसकी अवधि तीन घंटे की होगी। जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, Civil Procedure Code, 1908.
2. भारतीय दंड संहिता, 1860, Indian Penal Code, 1860.
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, Criminal Procedure Code, 1973
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, Indian Evidence Act, 1872
5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961,
M.P. Accommodation Control Act, 1961.
6. संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882,
Transfer of Property Act, 1882
7. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, Indian Contract Act,1872.
8. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अधिनियम, 1959
M.P. Land Revenue Code, 1959.
9. भारत का संविधान Constitution of India.
10. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963.
11. म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996
M.P. Gram Nyayalaya Adhiniyam, 1996.

उपरोक्त अधिनियमों में से कुल दस प्रश्न पूछे जायेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे।

(2) द्वितीय प्रश्न पत्र- द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा जिसकी अवधि तीन घण्टे की होगी तथा इसके दो भाग होंगे:-

भाग - एक

(अ) दिये गये विषयों में से एक पर 300 शब्दों का सामान्य निबंध-40 अंक।
(ब) एक हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद-10 अंक।
(स) एक अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद-10 अंक।

भाग - दो

(अ) सिविल आदेश/निर्णय लेखन - 20 अंक।
(ब) दाण्डिक आदेश/निर्णय लेखन - 20 अंक।
उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे।

साक्षात्कार

3. मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित हैं।

आर-1063/2009 **रजिस्ट्रार (परीक्षा)**